

KENDRIYA VIDYALAYA ANDREWS GANJ, NEW DELHI-110024

Following Documents to be produced in original and photocopy at the time of admission:

1. Copy of Registration form that was filled online.
2. Photo of the child (2 Passport size).
3. Birth Certificate issued by competent authority.
4. Residence Proof (Electricity Bill/Gas Connection bill/Ration Card/Voter ID/Passport/quarter possession letter).

NOTE:- Date written on Residence proof must be on or before the applied registration form.

5. Service Certificate of Parent for Government Employee only (2 copies only).
6. Departmental ID card only for Govt. Employee (2 copies).
7. Transfer Proof of parent since 1st April 2019.
8. Recent Salary Slip for Government employee (2 copies).
9. Schedule caste/Schedule Tribe/OBC/OBC(NCL) certificate issued by the competent authority in respect of either in the name of father or in the name of the child.

NOTE:- OBC (NCL) certificate must be issued by GOVT. OF NCT OF DELHI/CENTRAL LEVEL
(Only for RTE candidates).

10. Certificate of retirement for Uniformed Defense employees.
11. Latest Certificate of EWS issued by the SDM or BPL Ration Card in the name of the parents/Head of the family.
12. For CWSN candidate Certificate issued by competent authority.
13. Aadhar Card and Blood Group of the Child.

Note:

- 1. Admission secured on the basis of any wrong documents shall be cancelled by the Principal forthwith, no appeal against such action of the Principal shall be entertained and legal action may be taken against wrong information provider.**
- 2. Child should be physically present at the time of admission.**
- 3. GOVT. employee must bring an envelope for documents verification from their concerned department.**

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूज गंज

प्रवेश के समय मांगे जाने वाले मूल दस्तावेज एवं फोटोकॉपी:-

- 1) ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म की प्रतिलिपि ।
- 2) बच्चे के हाल ही (वर्तमान) के दो पासपोर्ट साइज़ के दो फोटो ।
- 3) बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ।
- 4) निवास प्रमाण (बिजली/पानी/गैस का बिल/राशन कार्ड/वोटर ID/पासपोर्ट) ।

नोट:- निवास प्रमाण पत्र पंजीकरण दिनांक से पहले का होना अनिवार्य है।

- 5) सेवा प्रमाण पत्र केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए (2 प्रतिलिपि) ।
- 6) सरकारी विभाग का परिचय पत्र केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए (2 प्रतिलिपि) ।
- 7) अभिभावक का स्थानान्तरण का प्रमाण पत्र केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए (1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी) ।
- 8) वर्तमान वेतनमान की पर्ची केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए (2 प्रतिलिपि) ।
- 9) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) का प्रमाण पत्र ।

नोट:- OBC (NCL) प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य है।
(केवल RTE वाले बच्चों के लिए)

- 10) सेवा निवृत्ति का प्रमाण (रक्षा कर्मचारियों के लिए) ।
- 11) EWS/आय का एसडीएम द्वारा जारी अद्यतन प्रमाण पत्र या BPL राशन कार्ड (माता/पिता/परिवार के मुखिया के नाम पर)
- 12) दिव्यांग बच्चे का प्रमाण पत्र ।
- 13) बच्चे तथा अभिभावक का आधार कार्ड ।
- 14) बच्चे के रक्त समूह का प्रमाण ।

नोट :-

1. किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार लिया गया प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्राचार्य द्वारा किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा, और प्राचार्य के इस कार्यवाही के खिलाफ कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. प्रवेश के समय माता/पिता के साथ बच्चे का साथ होना आवश्यक है ।